भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 236949

792/4

प्रतिज्ञा-पत्र विक्रय (बिना कब्जा)

| | | |
|---|---|---|
| 1. भूमि का प्रकार | – | कृषि |
| 2. परगना | – | डासना |
| 3. ग्राम | – | नगर पालिका पिलखुवा |
| 4. भूमि का खसरा | – | 792/4 |
| 5. इकरारी क्षेत्रफल | – | 0.1433 हेक्टेयर |
| 6. मापन की इकाई | – | हेक्टेयर |
| 7. इकरारी अवधि | – | 30–10–2011 |
| 8. इकरारी कीमत | – | 20,56,000/– |
| 9. ब्याना अंकन | – | 3,25,000/– |
| 10. स्टाम्प शुल्क | – | 41,500/– |

CHAUDHARY UPENDRA SINGH
(Advocate)
Th. Hapur (Ghaziabad)

क्रम सं० 7 अंकमान 10000 दिनांक 2-6-2011

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

क्रेता का नाम मै० [illegible]

निवासी [illegible]

(... सिंह)
स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा० हापुड़
जिला गाजियाबाद ला० नं० 55
... 31-03-2012

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

| प्रतिफल | मालियत | अग्रिम धनराशि | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | शब्द लगभग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,056,000.00 | | 325,000.00 | 6,500.00 | 20 | 6,520.00 | 1,000 |

श्री विजयपाल सिंह
पुत्र श्री खचेड़ू
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी ग्राम जटटपुरा तह0 हापुड जिला गाजियाबाद
अस्थायी पता -

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/6/2011 समय 4:02PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम हापुड
गाजियाबाद
2/6/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री विजयपाल सिंह
पुत्र श्री खचेड़ू
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम जटटपुरा तह0 हापुड जिला गाजियाबाद

क्रेता
श्री विपिन मित्तल मैसर्स प्ले0री0स्टे0 प्रा0लि0
पुत्र श्री प्रहलाद शरण मित्तल
पेशा व्यापार
निवासी चाह डिब्बा लिपखुवा हापुड जिला गाजियाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मुकेश कुमार
पुत्र श्री विशम्बर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी जिनाई जिला बुलन्दशहर
व श्री शीशपाल
पुत्र श्री सेवाराम
पेशा व्यापार
निवासी नूरपुर जिला गाजियाबाद
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम हापुड
गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

30 MAY 2011

Rs.5000

Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 236950

CHAUDHARY UPENDRA SINGH
(Advocate)
Hapur (Ghaziabad)

2

हम कि विजयपाल पुत्र श्री खचेडू निवासी ग्राम जटटपुरा परगना डासना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद अन्तरणकर्ता (विक्रेता) प्रथम पक्ष व

मैसर्स प्लेटीना रीयल स्टेटस प्रा. लिमिटेड, (पैन नम्बर ए.ए.डी.सी.पी.9947के.) रजि. आफिस परमेश कार्पोरेट टावर 309, तृतीय मंजिल प्लाट नम्बर 13, कडकडडूमा कम्यूनिटी सेन्टर दिल्ली–110092 कार्पोरेट आफिस सी–22, द्वितीय मंजिल आर.डी.सी. राजनगर गाजियाबाद उ.प्र. द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी डा. विपिन मित्तल पुत्र श्री प्रहलाद शरण मित्तल निवासी चाहडिब्बा पिलखुवा परगना डासना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद अन्तरिति (क्रेता) द्वितीय पक्ष।

विजयपाल

क्र० सं० 8 क्रमांक 6081 दिनांक 02-6-2011

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

क्रेता का नाम

निवासी

(हस्ताक्षर)

स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा० हापुड़

जिला गाजियाबाद ला० नं० 58

[illegible] 31-03-2012

विजयपाल

विक्रेता

Registration No.: 8139 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 विजयपाल सिंह

खचेडू

ग्राम जटटपुरा तह0 हापुड जिला गाजियाबाद

व्यापार

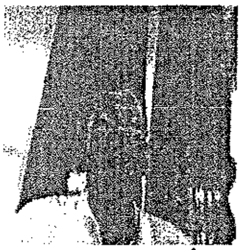

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

30 MAY 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 236951



## इकरारी भूमि का विवरण:

स्थित ग्राम नगर पालिका पिलखुवा, अन्दर सीमा नगर पालिका पिलखुवा परगना डासना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद मे खाता संख्या 413 खसरा संख्या 792/4 रकबा 0.4300 हेक्टेयर है, मे से प्रथम पक्ष ने अपना हमगी व तमामी पूर्ण 1/3 भाग रकबा 0.1433 हेक्टेयर भूमि का द्वितीय पक्ष के हक मे इकरारनामा किया है।

विजयपाल

क्रम सं० 2/7 क्रमांक 5000 दिनांक 2-6-2011
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
क्रेता का नाम
निवासी

(नरेन्द्र सिंह)
स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा० हापुड़
जिला गाजियाबाद ला० न० 53
लाइसेन्स अवधि 31-03-2012

क्रेता

Registration No. : 8139 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 विपिन मित्तल मैसर्स प्ले0री0स्टे0 प्रा0लि0
प्रहलाद शरण मित्तल
चाह डिब्बा लिपखुवा हापुड जिला गाजियाबाद
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

30 MAY 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 237545

4

जो कि उक्त वर्णित सम्पत्ति के प्रथम पक्ष मालिक, स्वामी, काबिज व हस्तान्तरण करने के अधिकारी है, उक्त सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा विवाद रहित है, बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि–आदि से पाक साफ है व वैधानिक या अवैधानिक दोष रहित तथा विक्रय आदि के लिये अन्य महायदा बय आदि से सुरक्षित है, उक्त वर्णित सम्पत्ति का निश्चित मूल्य अंकन 20,56,000/– रुपये है, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बतौर ब्याना 3,25,000/– रुपये इस प्रकार कि अंकन 3,00,000/– रूपये चैक नम्बर 283693 पंजाब नेशनल बैंक, जी.टी.रोड गाजियाबाद दिनांक 07–05–2011 व 25,000/– रूपये नकद प्राप्त कर लिया है एवं शेष अंकन 17,31,000/– रुपये प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से बैनामा के समय प्राप्त करेगा, मे

विजयपाल

Vipin

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 237546



प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के साथ विक्रय करने का अनुबन्ध कर लिया है, अतः पक्षगणी व वारिसान पक्षगण प्रतिज्ञा पत्र की धाराओ का पालन करेगे:–

1. यह कि उभय पक्ष के मध्य बैनामा कराये जाने की अवधि आज से दिनांक 30–11–2011 तक तय पायी है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त निश्चित अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष से इकरारी सम्पत्ति का बैनामा या बैनामेजात अपने अथवा

विजयपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 236740



के पश्चात द्वितीय पक्ष को अपना धन वापिस पाने अथवा बैनामा कराने के लिये वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इकरारी सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के आड, बय, लोन आदि–2 दोषो से पूर्णतय: मुक्त है, बैनामा के समय जो भी जरूरी कागजात इकरारी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे है, उनको लाने व उसके खर्चे का दायित्व प्रथम पक्ष विक्रेता का होगा, यह कि यदि सम्पत्ति पर कोई वाद–विवाद या लोन आदि पाया जाता है तो उसकी अदायगी व निपटारे की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी।

विजय पाल

Sabin

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

30 MAY 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 237547



अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति, व्यक्तिगण, फर्म, संस्था या कम्पनी के पक्ष मे करा ले, प्रथम पक्ष निश्चित अवधि के अन्दर इकरारी सम्पत्ति का बैनामा द्वितीय पक्ष अथवा उनकी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे करने के कोई बहाना या आपत्ति की तो ऐसी दशा मे द्वितीय पक्ष को न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष से इकरारी सम्पत्ति का बैनामा करा लेने का अधिकार होगा, न्यायालय का खर्चा प्रथम पक्ष वहन करेगा यदि निश्चित अवधि के अन्दर द्वितीय पक्ष इकरारी सम्पत्ति का बैनामा नहीं कराते है तो अवधि समाप्त होने

विजयपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रू.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 236741



4. यह कि इकरारी सम्पत्ति पर जो स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है वह बैनामा के समय समायोजित किया जायेगा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियां जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है को लेखपत्र मे सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये है, कोई

विजयपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH N 287217



तथ्य छुपाया नहीं गया है।

अतः यह लेख इकरारनामा महायदा बय अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, चेतन्यमनोबुद्धि की अवस्था मे बिना दबाव के तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। नोट– द्वितीय पक्ष बैनामा के निष्पादन से पूर्व कब्जा पाने के अधिकारी नहीं होगे। मसविदा स्वंय पक्षगण के कथनानुसार व दी गई

विजयपाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH M 950817

CHAUDHARY UPENDRA SINGH (Advocate) Th. Hapur (Ghaziabad)

CHAUDHARY UPENDRA SINGH (Advocate) Th. Hapur (Ghaziabad)

10

सूचनाओ के आधार पर टाइप किया गया है।

विजयपाल

ह. गवाह मुकेश कुमार S/ किशनलाल सिंह
निवासी - जिनाई - जि० बुलन्दशहर

ह. गवाह शशिपाल S/o खेमाराम
नूरपुर गा०बाद

दिनांक : 02—06—2011

CHAUDHARY UPENDRA SINGH (Advocate) Th. Hapur (Ghaziabad)

[illegible] दिनांक 2-6-11
[illegible] का प्रयोजन
[illegible]

(प्रशान्त कुमार)
स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा0 हापुड़
जिला गाजियाबाद लाइ0 स0 105
लाइसेन्स अवधि 31-3-2011

आज दिनांक **02/06/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **7309**

पृष्ठ सं. **383** से **402** पर कमांक **8139**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम हापुड
गाजियाबाद
2/6/2011